भारत संचार निगम लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम)
एसआर सेल, कॉर्पोरेट कार्यालय
8वीं मंजिल, भारत संचार भवन, हरिश चंदर माथुर लेन,
जनपथ, नई दिल्ली-110001

क्रमांक: बीएसएनएल/20-7/एसआर/2024 दिनांक: 21 मार्च 2025

विषय: 13 जनवरी 2025 को आयोजित राष्ट्रीय परिषद की 40वीं बैठक के कार्यवृत्त

राष्ट्रीय परिषद की 40वीं बैठक निदेशक (एचआर) की अध्यक्षता में 13 जनवरी 2025 को सुबह 11:00 बजे भारत संचार भवन, नई दिल्ली के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित की गई। प्रतिभागियों की सूची अनुलग्नक-ए में उपलब्ध है।

पीजीएम (एसआर) ने परिषद के अध्यक्ष तथा प्रबंधन एवं कर्मचारी पक्ष के सभी सदस्यों का स्वागत किया, जिनमें से कई देशभर से बैठक में शामिल होने आए थे। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय परिषद एक गौरवशाली निकाय है, जिसे बीएसएनएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित आरएनईयू नियमों के तहत गठित किया गया है। यह सर्वोच्च मंच है जहाँ प्रबंधन और कर्मचारी पक्ष शांतिपूर्ण संवाद के माध्यम से विभिन्न मुद्दों के समाधान हेतु प्रयास करते हैं। कंपनी के हित में दोनों पक्षों को रचनात्मक तरीके से साथ काम करना चाहिए।

निदेशक (एचआर) एवं राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष ने सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि यह उनके निदेशक (एचआर) के रूप में शामिल होने के बाद पहली राष्ट्रीय परिषद बैठक है। यह कंपनी और कर्मचारियों के हित में सकारात्मक व रचनात्मक सहयोग का अवसर है। उन्होंने एचआर नीतियों में संवेदनशीलता और सकारात्मक दृष्टिकोण पर जोर दिया। एचआर टीम द्वारा कई त्वरित सफलताएँ प्राप्त की गई हैं, जैसे:

1. दिव्यांगजन (PwBD) हेतु नवीनतम DoPT दिशा-निर्देशों के अनुसार आरक्षण लागू करने का निर्णय।
2. नियम 9 के तहत स्थानांतरण हेतु ERP प्रणाली में ऑनलाइन पोर्टल।
3. पदोन्नति परीक्षा (LICE) आयोजित।
4. गैर-कार्यपालक कर्मचारियों का प्रशिक्षण एवं पुनः कौशल विकास।

आर्थिक स्थिति सुधरने पर और अधिक त्वरित सफलताएँ प्राप्त होंगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि सकारात्मक सोच के साथ शीघ्र ही अधिक मुद्दों का समाधान किया जाएगा।

स्टाफ साइड के नेता ने अध्यक्ष एवं सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया। एजेंडा बिंदुओं के अलावा, उन्होंने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में निम्नलिखित मुद्दों पर चिंता व्यक्त की:

1. यूनियन को आवास हेतु दिया गया नोटिस।
2. सर्कल/बीए स्तर पर परिषदों की बैठकों का न होना/अकार्यशीलता।
3. द्वितीय VRS पर हितधारकों से परामर्श न किया जाना।
4. सीमित ट्रेड सुविधा यूनियन को दी गई बैठकें।

5. CSC स्टाफ का आउटसोर्सिंग।
6. कैजुअल मजदूर/TSM को 7वें CPC के लाभ।
7. गैर-कार्यपालक कर्मचारियों को मोबाइल भुगतान।
8. फील्ड इकाइयों में वर्दी का एकसमान वितरण।
9. महाराष्ट्र सर्कल में JE की कमी।
10. रोटेशनल ट्रांसफर हेतु CVC दिशा-निर्देशों का पालन।
11. श्री दिनेश प्रसाद, टीटी, लखीसराय की वसूली से संबंधित मामला।

स्टाफ साइड के सचिव ने अध्यक्ष एवं सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया। उन्होंने नववर्ष की शुभकामनाएँ व्यक्त की तथा प्रबंधन के समयाभाव के बावजूद इस बैठक को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित करने के लिए आभार जताया। उन्होंने नए सीएमडी और निदेशक (एचआर) के नेतृत्व में प्रबंधन द्वारा कुछ लंबित मुद्दों को हल करने के लिए अपनाए गए सकारात्मक, संवेदनशील और मानवीय दृष्टिकोण की सराहना की। हालाँकि, मुद्दों का समाधान भी महत्वपूर्ण है, और स्थिति में अधिक बदलाव नहीं आया है। उन्होंने राष्ट्रीय परिषद की बैठकों की नियमितता पर चिंता व्यक्त की तथा राष्ट्रीय परिषद में लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु स्थायी समिति गठित करने का अनुरोध किया। एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा से पहले, उन्होंने निम्नलिखित मुद्दों पर विस्तार से बात की:

1. राष्ट्रीय परिषद की बैठक प्रत्येक तीन महीने में आयोजित की जानी चाहिए।
2. द्वितीय स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (VRS) का जोरदार विरोध।
3. अधिकारियों पर अत्यधिक कार्यभार।
4. बीएसएनएल में गैर-कार्यपालक कर्मचारियों के वेतन संशोधन का न निपटाया जाना।
5. पंजाब सर्कल के LICE JTO परिणाम की घोषणा न करना।
6. गैर-कार्यपालक कर्मचारियों को मोबाइल भुगतान।
7. बीएसएनएल के 4G सेवाओं की दयनीय स्थिति।

इसी बीच, बीएसएनएल के सीएमडी ने बैठक में उपस्थित होकर सभा को संबोधित किया। उन्होंने सरकारी समर्थन, पुनरुत्थान पैकेज और हाल ही में लॉन्च की गई सेवाओं जैसे **BSNL राष्ट्रीय वाईफाई रोमिंग**, डायरेक्ट टू डिवाइस (D to D) सेवाएँ, BSNL आईएफ़टीवी सेवाएँ, और खानों में निजी 5G* आदि का उल्लेख किया। उन्होंने राजस्व बढ़ाने, कर्मचारी लागत (वर्तमान में कुल राजस्व का लगभग 39%) घटाने, और ARPU (औसत प्रति उपयोगकर्ता आय) बढ़ाने पर जोर दिया, ताकि तीसरे PRC (वेतन पुनरीक्षण समिति) हेतु सरकार से संपर्क किया जा सके। उन्होंने अनावश्यक मुकदमेबाजी से होने वाले संसाधनों के दुरुपयोग पर भी चिंता जताई। उन्होंने बीएसएनएल की बेहतरी के लिए कर्मचारियों को प्राथमिकताएँ तय करने और लक्ष्य-केंद्रित कार्य करने का आह्वान किया। बीएसएनल टीम 100% 4G सुविधा सुनिश्चित करने हेतु शीर्ष 100 शहरों की पहचान कर रही है। सीएमडी ने ग्राहकों की घटती संख्या और सेवा गुणवत्ता (QoS), FTTH (फाइबर टू होम), तथा ऊर्जा बचत (EB) पर ध्यान देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रबंधन का दृष्टिकोण सकारात्मक है और नियमों के दायरे में एचआर मुद्दों का समाधान संवाद के माध्यम से किया जा सकता है।

इसके पश्चात, एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा की गई:

1. कर्मचारियों के वेतन से ईपीएफ के अंशदान की जबरन वसूली
स्टाफ साइड ने बताया कि बीएसएनएल द्वारा भर्ती किए गए कर्मचारी ईपीएफ (कर्मचारी भविष्य निधि) के पात्र हैं, न कि जीपीएफ (सामान्य भविष्य निधि) के। किंतु, कुछ कर्मचारियों के मामले में प्रबंधन ने गलती से जीपीएफ लागू कर दिया। कई वर्षों बाद, प्रबंधन ने इन कर्मचारियों को जीपीएफ से ईपीएफ में स्थानांतरित किया। इस दौरान, प्रबंधन ईपीएफ के अंशदान की बकाया राशि की जबरन वसूली कर रहा है। उदाहरणार्थ, *श्री मनोज शर्मा, वरिष्ठ टीओए (जी), उज्जैन, एमपी सर्कल* को जीपीएफ से ईपीएफ में स्थानांतरित किया गया। एमपी सर्कल के सीजीएम ने श्री शर्मा के वेतन से ₹4,26,620/- की वसूली का आदेश दिया है, जो "जीपीएफ और ब्याज की वसूली" के रूप में बताया गया है।

इसी प्रकार, ओडिशा और सीएनटीएक्स सर्कल के लगभग 80 कर्मचारियों को प्रारंभ में राष्ट्रपति के आदेश जारी किए गए थे, जिनके तहत उनके लिए जीपीएफ लागू किया गया। 20 वर्षों के बाद, डीओटी ने इन आदेशों को रद्द कर दिया। आदेश रद्द होने के बाद, इन कर्मचारियों को ईपीएफ में स्थानांतरित किया गया, और अब उनसे ईपीएफ के अंशदान की बकाया राशि चुकाने के लिए बाध्य किया जा रहा है। संबंधित सर्कलों के सीजीएम कर्मचारियों से *विकल्प प्रपत्र* भरवा रहे हैं, जिसके आधार पर उनके वेतन से ईपीएफ अंशदान की बकाया राशि काटी जाएगी।

स्टाफ साइड ने मांग की कि **ईपीएफ आयुक्त के आदेश** के अनुसार, ईपीएफ अंशदान की बकाया राशि केवल उन्हीं मामलों में वसूल की जा सकती है, जहाँ "लेखा संबंधी त्रुटियाँ" हुई हों। अन्य मामलों में, कर्मचारियों से यह राशि वसूल नहीं की जानी चाहिए।

उपरोक्त दोनों मामलों में कोई **"लेखा संबंधी त्रुटि"** नहीं हुई है। यह प्रबंधन की नीति में परिवर्तन का मामला है। प्रारंभ में प्रबंधन ने जीपीएफ लागू किया, और बाद में ईपीएफ लागू करने का निर्णय लिया। अतः, इन मामलों में कर्मचारियों के वेतन से ईपीएफ अंशदान की बकाया राशि जबरन वसूल नहीं की जानी चाहिए।

प्रबंधन पक्ष ने बताया कि ओडिशा सर्कल के 11 कर्मचारियों को बीएसएनएल में अवशोषित करने संबंधी गलत जारी किए गए **राष्ट्रपति के आदेश** को कॉर्पोरेट कार्यालय के पत्र संख्या 7-16/2020-LE (दिनांक 13.08.2020) के निर्देशानुसार रद्द कर दिया गया। वर्तमान में 11 में से केवल 6 कर्मचारी कार्यरत हैं। राष्ट्रपति के आदेश रद्द होने के कारण, ओडिशा के सीसीए ने जीपीएफ खाते बंद कर दिए। कई कर्मचारियों ने **केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT), कटक** में आवेदन दाखिल किए हैं। दो मामलों में माननीय CAT ने रोक लगाई, जिनमें से एक व्यक्ति का निधन हो चुका है। ओडिशा सीसीए ने उक्त दो को छोड़कर अन्य सभी मामलों में जीपीएफ खाते बंद कर दिए हैं। कॉर्पोरेट कार्यालय के पत्र संख्या BSNLCO-A/13(16)/1/2024-ESTAB (दिनांक 21.08.2024) के अनुसार, ओडिशा सर्कल में ईपीएफ खाते खोलने की प्रक्रिया प्रगति पर है। संबंधित कर्मचारियों से बार-बार ईपीएफ खाता खोलने हेतु आवेदन प्रपत्र जमा करने का अनुरोध किया गया है। कुछ ने यह प्रतिनिधित्व किया है कि पिछली अवधि का कर्मचारी अंशदान बीएसएनल द्वारा भरा जाए और उनके वेतन से किश्तों में वसूला

जाए। इस संबंध में कॉर्पोरेट कार्यालय से अनुमति हेतु पत्र संख्या ODCO-26/15 (13)/14/2022-CA (F and A)-OD CO (दिनांक 04.12.2024) भेजा गया है।

मध्य प्रदेश सर्कल के कुछ कर्मचारी **प्रत्यक्ष भर्ती (DR)** के रूप में हैं, लेकिन सहानुभूतिपूर्ण नियुक्ति के कारण प्रारंभ में उन्हें जीपीएफ के तहत रखा गया। कॉर्पोरेट कार्यालय के पत्र संख्या BP 35/CA I/BSNL/EPF VOL II (दिनांक 21.06.2007) के अनुसार, **01.10.2000** के बाद सहानुभूतिपूर्ण आधार पर नियुक्त कर्मचारी (जिनके माता-पिता 30.09.2000 तक डीओटी/डीटीएस/डीटीओ में सेवारत थे और सेवाकाल में निधन हुआ) ईपीएफ योजना के अंतर्गत आते हैं और तकनीकी रूप से **प्रत्यक्ष भर्ती कर्मचारी** माने जाते हैं।

श्री मनोज शर्मा, एसओए (जी) ने 27.11.2000 को सहानुभूतिपूर्ण आधार पर बीएसएनएल में टीओए के रूप में कार्यभार संभाला। नवंबर 2000 से जनवरी 2016 तक उन्हें डीओटी कर्मचारी मानते हुए जीपीएफ अंशदान काटा गया। जूनियर डीडीजी (सीए), कॉर्पोरेट कार्यालय, नई दिल्ली के आदेश (दिनांक 21.06.2007) के अनुसार, श्री शर्मा को **बीएसएनएल प्रत्यक्ष भर्ती कर्मचारी** माना गया। अतः, एमपी टेलीकॉम सर्कल ने अगस्त 2000 से जनवरी 2016 की अवधि के लिए जून 2017 में ईपीएफ अंशदान (₹4,10,696/-) और जुर्माना (₹5,31,095/-) सहित कुल ₹9,41,791/- जमा किए। चूंकि कर्मचारी ने जीपीएफ राशि निकाल ली थी, प्राधिकारियों के निर्देशानुसार उनसे ₹4,26,620/- की कटौती हेतु सहमति पत्र मांगा गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया।

श्री शर्मा ने ईपीएफओ भोपाल के पत्र संख्या Circle -3/MP/13490/319 (दिनांक 03.07.2023) का हवाला देते हुए ₹4,26,620/- की वसूली का विरोध किया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि "यदि कर्मचारी जीपीएफ के पात्र नहीं हैं, तो राशि वसूली जा सकती है"। हालांकि, ईपीएफओ के एक अन्य पत्र (संदर्भ: 3.11.141/1/241/Circle - III/111/1/244/131/13490/[411/131/01/2021]) में कहा गया कि **"ईपीएफ अंशदान की बकाया राशि की वसूली अमान्य है"**।

श्री शर्मा के वकील ने ₹4,26,620/- की राशि को 36 किश्तों में वसूल न करने के विरोध में 14.12.2023 को कानूनी नोटिस भेजा, जिसका प्रबंधन ने 17.09.2024 को जवाब दिया।
स्टाफ साइड ने ईपीएफ आयुक्त के आदेश की प्रति प्रस्तुत की। प्रबंधन पक्ष ने ईपीएफ प्राधिकारियों के निर्देशों का पालन करने की सहमति व्यक्त की।

कार्रवाई: स्थापना सेल द्वारा।

2. एफटीटीएच सेगमेंट में टीटी और एटीटी का पुनर्नियोजन

स्टाफ साइड ने मांग की कि बीएसएनएल प्रबंधन ने तांबे के केबल आधारित लैंडलाइन और ब्रॉडबैंड कनेक्शन बंद करने का नीतिगत निर्णय लिया है। इसके परिणामस्वरूप, **टेलीकॉम टेक्नीशियन (टीटी)** और **सहायक टेलीकॉम टेक्नीशियन (एटीटी)** अनावश्यक हो जाएंगे। इन कर्मचारियों को **एफटीटीएच (फाइबर टू होम)** कनेक्शन के प्रोविजनिंग और रखरखाव कार्यों में पुनर्नियोजित किया जा सकता है। यह मांग इसलिए उठाई गई है क्योंकि

वर्तमान में प्रतिमाह लाखों एफटीटीएच कनेक्शन समाप्त हो रहे हैं, जिसका प्रमुख कारण खराब रखरखाव है। साथ ही, बीएसएनएल द्वारा नियुक्त **टीआईपी (टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर)** एफटीटीएच कनेक्शन से प्राप्त राजस्व का 50% हिस्सा लेते हैं। यह धनराशि उपकरण खरीद और मानव संसाधन नियुक्त करने में उपयोग की जा सकती है, ताकि ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान की जा सके।

प्रबंधन पक्ष ने स्टाफ साइड के विचारों को रिकॉर्ड करने और सीएफए शाखा को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजने की सहमति व्यक्त की।

- **कार्रवाई**: स्थापना सेल द्वारा

3. **गैर-कार्यपालक कर्मचारियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करना**

स्टाफ साइड ने बताया कि बीएसएनएल कॉर्पोरेट कार्यालय के पत्र (दिनांक 24.09.2024) के अनुसार, गैर-कार्यपालक कर्मचारियों को ओएफसी रखरखाव, बिक्री आदि क्षेत्रों में प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव है। यूनियन ने पहले ही मांग की है कि टीटी और एटीटी को एफटीटीएच सेगमेंट में पुनर्नियोजित किया जाए। अतः, इन कर्मचारियों को संबंधित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। साथ ही, सभी गैर-कार्यपालक कर्मचारियों को **कंप्यूटर प्रशिक्षण** देकर उन्हें कुशल कार्यों में लगाया जा सकता है।

प्रबंधन पक्ष ने सूचित किया कि सीएमडी बीएसएनएल ने मान्यता प्राप्त यूनियनों के परामर्श से सभी गैर-कार्यपालक कर्मचारियों के **पुनः कौशल विकास** और उत्पादक रोजगार हेतु एक रणनीति तैयार करने का निर्देश दिया है। प्रशिक्षण अनुभाग, बीएसएनएलसीओ ने एक व्यापक अध्ययन कर प्रस्तावित रणनीति तैयार की है, जिसे *जीएस बीएसएनएलयू* और **जीएस एनएफटीई** के साथ साझा किया गया। दोनों यूनियनों के सुझावों को शामिल कर संशोधित रणनीति को मंजूरी हेतु प्रस्तुत किया गया है।

- **कार्रवाई**: भर्ती एवं प्रशिक्षण सेल द्वारा

4. **जाति प्रमाणपत्र सत्यापन लंबित होने पर सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान न करना**

स्टाफ साइड ने बताया कि **डीओटी** के पत्र संख्या 40-09/2022-Pen(T) (सीएमडी बीएसएनएल को संबोधित) के अनुसार, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन/सेवानिवृत्ति लाभों को **जाति प्रमाणपत्र सत्यापन लंबित** होने के आधार पर रोका या विलंबित नहीं किया जाना चाहिए। डीओटी ने स्पष्ट किया है कि सेवानिवृत्ति लाभ केवल तभी रोके जा सकते हैं, जब सेवानिवृत्ति के समय विभागीय या न्यायिक प्रक्रियाएं लंबित हों। इसके बावजूद, **महाराष्ट्र सर्कल** के एसटी कर्मचारियों के लाभ जाति प्रमाणपत्र सत्यापन लंबित होने के कारण रोक दिए गए हैं। स्टाफ साइड ने कॉर्पोरेट कार्यालय से महाराष्ट्र सर्कल के सीजीएम को डीओटी के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने हेतु आदेश जारी करने की मांग की।

प्रबंधन पक्ष ने बताया कि **DoP&PW** के कार्यालय ज्ञापन (दिनांक 30.11.2021) को डीओटी द्वारा 30.12.2021 को सभी सर्कलों में लागू करने हेतु प्रसारित किया गया था। बीएसएनएल के एससीटी सेल ने इसे 25.04.2022 को पुनः अमल में लाने हेतु पत्र भेजा। स्थापना शाखा ने 25.07.2022 के पत्र द्वारा महाराष्ट्र सर्कल को निर्देश दिया

कि लंबित मामलों में DoP&PW के निर्देशों के अनुसार सेवानिवृत्ति लाभ दिए जाएं। 18.11.2024 के पत्र द्वारा महाराष्ट्र सर्कल को सीसीए के साथ समन्वय कर पेंशन लाभ निपटाने का अनुरोध किया गया है।

5. कार्यपालक (EPP) और गैर-कार्यपालक (NEPP) पदोन्नति नीतियों के बीच असमानता का निवारण*

स्टाफ साइड ने बताया कि **कार्यपालक कर्मचारियों** को प्रत्येक 5 वर्ष बाद **कार्यपालक पदोन्नति नीति (EPP)** के तहत समयबद्ध वेतनमान उन्नयन मिलता है, जबकि **गैर-कार्यपालक कर्मचारियों** को **गैर-कार्यपालक पदोन्नति नीति (NEPP)** के अनुसार यह लाभ प्रत्येक 8 वर्ष बाद मिलता है। यह एक ही कंपनी में कार्यरत दोनों वर्गों के बीच भेदभावपूर्ण है। 07.08.2023 को आयोजित पिछली राष्ट्रीय परिषद बैठक में अध्यक्ष ने इस असमानता को दूर करने का आश्वासन दिया था। अतः, प्रबंधन से अनुरोध है कि EPP और NEPP के बीच की इस असमानता को शीघ्र दूर किया जाए।

प्रबंधन पक्ष ने स्पष्ट किया कि NEPP को संबंधित यूनियनों के परामर्श से बीएसएनएल बोर्ड द्वारा 23.03.2010 को मंजूरी दी गई (EPP 2007 में लागू हुआ)। यह नीति गैर-कार्यपालक कर्मचारियों को सेवा अवधि और रिक्तियों के आधार पर चार समयबद्ध पदोन्नतियाँ प्रदान करती है, जिससे अब तक लाखों कर्मचारियों को लाभ मिला है। कार्यपालक और गैर-कार्यपालक नीतियाँ अलग-अलग कैडर के लिए हैं, इसलिए इनकी तुलना उचित नहीं है।

स्टाफ साइड ने जोर देते हुए कहा कि 14 वर्षों के बाद नीति की समीक्षा आवश्यक है ताकि ठहराव दूर हो और कार्यपालकों के साथ समानता सुनिश्चित की जा सके। प्रबंधन ने इस मुद्दे पर विचार करने हेतु एक समिति गठित करने की सहमति दी।

- ***कार्रवाई***: स्थापना सेल द्वारा

6. **गैर-कार्यपालक कर्मचारियों को त्योहारी अग्रिम (Festival Advance) प्रदान करना**

स्टाफ साइड ने बताया कि पहले गैर-कार्यपालक कर्मचारियों को बीएसएनएल द्वारा **त्योहारी अग्रिम** दिया जाता था, लेकिन यह प्रथा बंद कर दी गई। कर्मचारियों द्वारा नियमित रूप से ₹20,000/- की अग्रिम राशि की मांग की जा रही है। चूंकि यह राशि कर्मचारियों के वेतन से काटी जाती है, इससे कंपनी पर कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। अतः, प्रबंधन से अनुरोध है कि यह सुविधा पुनः शुरू की जाए।

प्रबंधन पक्ष ने स्पष्ट किया कि वित्तीय विभाग के परामर्श से इस मांग का विश्लेषण किया गया। वर्तमान में बीएसएनएल की आर्थिक स्थिति को देखते हुए इसे स्वीकार करना संभव नहीं है।

हालाँकि, *मार्च 2025* के बाद इस पर पुनः विचार किया जाएगा।

- ***कार्रवाई***: स्थापना सेल द्वारा

7. नियम-8 के तहत पति-पत्नी को एक स्टेशन पर तैनाती संबंधी DoP&T आदेश का अनुपालन न करना

स्टाफ साइड ने बताया कि **केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoP&T)** के पत्र संख्या DOPT-1669289899529 (दिनांक 24.11.2022) के अनुसार, केंद्र सरकार के विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों को पति-पत्नी को एक ही स्टेशन पर तैनात करना अनिवार्य है। बीएसएनएल प्रबंधन ने भी 13.02.2009 के पत्र संख्या 5-2112009-Pers.IV द्वारा सर्किल प्रमुखों को निर्देश दिया था कि प्रशासनिक व्यवहार्यता के दायरे में पति-पत्नी (यदि केंद्र/राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत हैं) को एक स्टेशन पर तैनात करने के अनुरोधों पर विचार किया जाए। किंतु, **प्रत्यक्ष भर्ती जेई (JE)** कर्मचारियों के अनुरोधों को **"अधिशेष सर्किल"** श्रेणी में आने के कारण अस्वीकार कर दिया जाता है। यह अभ्यास DoP&T के निर्देशों का उल्लंघन है और युवा कर्मचारियों को कठिनाई में डालता है। अतः, सभी लंबित नियम-8 अनुरोधों को एक बार स्वीकृत करने की मांग की गई।

प्रबंधन पक्ष ने स्पष्ट किया कि सर्किल/BA/OA कैडर के कर्मचारियों (JTO/JE/गैर-कार्यपालक) की नियुक्ति उनके मूल सर्किल/इकाई में ही होती है। **नियम-8** के तहत केवल प्रशासनिक व्यवहार्यता और **"अधिशेष सर्किल"** को छोड़कर अन्य मामलों में स्थानांतरण पर विचार किया जाता है। प्रबंधन ने बताया कि स्थानांतरण नीति की समीक्षा की जा रही है और मान्यता प्राप्त यूनियनों के सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे।

- **कार्रवाई**: स्थापना सेल द्वारा

8. टीटी और जेई LICE परीक्षाओं में अनुग्रह अंक प्रदान करने की मांग

स्टाफ साइड ने बताया कि **टीटी (टेलीकॉम टेक्नीशियन)** और **जेई (जूनियर इंजीनियर)** की **सीमित आंतरिक प्रतियोगी परीक्षाएं (LICEs)** 08.09.2024 को आयोजित की गईं। क्षेत्रीय इकाइयों से शिकायतें मिली हैं कि प्रश्न अत्यंत कठिन स्तर के थे। **एटीटी (सहायक टेलीकॉम टेक्नीशियन)** जैसे निम्नस्तरीय कर्मचारियों के लिए यह प्रश्नपत्र अनुपयुक्त थे। कई उम्मीदवारों ने आरोप लगाया कि प्रश्न इस तरह से तैयार किए गए थे कि कोई भी उत्तीर्ण न हो सके। जेई LICE के प्रश्नपत्रों में भी पाठ्यक्रम से बाहर के प्रश्न पूछे गए। अतः, **अनुग्रह अंक** देने की मांग की गई।

प्रबंधन पक्ष ने स्पष्ट किया कि परीक्षा प्रश्नपत्रों को किसी के विरुद्ध नहीं बनाया गया। **परीक्षा-पश्चात शिकायत निवारण प्रणाली** उम्मीदवारों की समस्याओं के समाधान और निष्पक्ष मूल्यांकन हेतु सक्रिय है। सामान्यतः, LICE में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों का प्रतिशत संतोषजनक रहा है, जो पाठ्यक्रम की उपयुक्तता को दर्शाता है। **हालाँकि, यूनियनों के प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए इस मामले की समीक्षा की जाएगी।**

- **कार्रवाई**: भर्ती एवं प्रशिक्षण सेल द्वारा

9) बीएसएनल स्थानांतरण नीति के नियम 9 में शामिल कठोर शर्तों को शिथिल करने तथा संघों/संघों के प्रतिनिधियों को समिति में शामिल करने का अनुरोध।

कर्मचारी पक्ष ने बताया कि प्रबंधन ने बीएसएनएल स्थानांतरण नीति की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की है। संघ की यह लंबे समय से लंबित मांग रही है कि नियम 9 में संशोधन के माध्यम से जोड़े गए कठोर प्रावधानों को हटाया जाए।

27 अक्टूबर 2021 को सीएमडी बीएसएनएल और संघों/संघों के बीच हुई बैठक में, सीएमडी बीएसएनएल ने आश्वासन दिया था कि बीएसएनएल स्थानांतरण नीति में किए गए संशोधनों की समीक्षा के लिए एक *संयुक्त समिति* गठित की जाएगी, जिसमें प्रबंधन पक्ष और संघों/संघों के *4 सदस्य* शामिल होंगे। इस बैठक के कार्यवृत्त *बीएसएनएल फाइल नंबर BSNL/7-31/SR/2018* (दिनांक *29 अक्टूबर 2021*) के तहत जारी किए गए थे। 27 अक्टूबर 2021 की बैठक के कार्यवृत्त का प्रासंगिक अंश निम्नलिखित है:
"6. बीएसएनएल स्थानांतरण नीति के पैरा 9 में शामिल कठोर शर्तों को हटाना:
यह सूचित किया गया कि *पीजीएम (कार्मिक), **वरिष्ठ जीएम (स्थापना), **वरिष्ठ जीएम (एसआर)* और संघों/संघों के चार सदस्यों वाली एक समिति बनाई जाएगी, जो नियम-9 स्थानांतरण के लिए अन्य वास्तविक/आपातकालीन शर्तों को शामिल करेगी।"**

सीएमडी बीएसएनएल ने स्पष्ट रूप से आश्वासन दिया था कि समिति में संघों/संघों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। हालाँकि, प्रबंधन ने *संघों/संघों के किसी भी सदस्य को शामिल किए बिना* समिति गठित कर दी है, जो *सीएमडी और संघों के बीच हुए समझौते का उल्लंघन* है। अतः अनुरोध है कि समिति में संघों/संघों के *4 सदस्यों को सह-चयनित* किया जाए। साथ ही, बीएसएनएल स्थानांतरण नीति में निम्नलिखित संशोधनों पर विचार करने की मांग की गई है:

धारा 9 (a) I
इस नए प्रावधान के अनुसार, *अस्थायी स्थानांतरण* केवल निम्नलिखित चिकित्सा आपात स्थितियों में ही माना जाएगा:
- कैंसर
- किडनी फेल्योर
- पोलियोमाइलाइटिस (बच्चों के लिए)
- सेरेब्रल पाल्सी स्पास्टिक्स
- टीबी
- थैलेसीमिया मेजर

कर्मचारी पक्ष का अनुरोध है कि इन *कठोर शर्तों को हटाया जाए* तथा अन्य बीमारियों से पीड़ित कर्मचारियों को भी अस्थायी स्थानांतरण के लिए विचार किया जाए।

धारा 9 (a) II
पहले, *दुर्घटनाग्रस्त होने वाले कर्मचारियों* (गंभीर चोट/फ्रैक्चर) को अस्थायी स्थानांतरण मिलता था। लेकिन नए प्रावधान के अनुसार, कर्मचारी केवल तभी पात्र होगा जब उसे *स्थायी विकलांगता* हो। इसका अर्थ है कि *स्थायी विकलांगता के बिना* गंभीर चोट वाले कर्मचारियों को स्थानांतरण नहीं मिलेगा।

कर्मचारी पक्ष ने मांग की है कि यह शर्त हटाई जाए और दुर्घटना में घायल हुए सभी कर्मचारियों को अस्थायी स्थानांतरण का अवसर दिया जाए।

धारा 9 (a) (IV)

संशोधित नियम के अनुसार, कर्मचारी *3 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद* ही अस्थायी स्थानांतरण के लिए पात्र होगा। पहले, *2 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले कर्मचारियों* को यह सुविधा प्राप्त थी।

कर्मचारी पक्ष चाहता है कि यह संशोधन वापस लिया जाए और *2 वर्ष की सेवा अवधि* को पुनः लागू किया जाए।

अस्थायी स्थानांतरण नीति में संशोधन

स्टाफ साइड ने बताया कि पहले कर्मचारियों का **अस्थायी स्थानांतरण** 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता था, लेकिन संशोधित नीति के तहत अब इसे अधिकतम **2 वर्ष** तक ही सीमित कर दिया गया है। स्टाफ साइड ने मांग की कि वास्तविक आवश्यकता वाले मामलों में अस्थायी स्थानांतरण को पुनः 5 वर्ष तक बढ़ाने की अनुमति दी जाए। साथ ही, **निदेशक (एचआर)** को अस्थायी स्थानांतरण स्वीकृत करने की **विवेकाधीन शक्ति** भी पुनर्स्थापित की जाए, जो पहले प्रचलन में थी।

प्रबंधन पक्ष ने सूचित किया कि **बीएसएनएल कर्मचारी स्थानांतरण नीति** की समीक्षा की जा रही है। वरिष्ठ अधिकारियों की समिति द्वारा अनुशंसित संशोधित नीति का मसौदा मान्यता प्राप्त यूनियनों/संघों को टिप्पणियों हेतु भेजा जा चुका है। यूनियनों से प्राप्त सुझावों को अंतिम नीति निर्धारण से पहले समिति के समक्ष रखा जाएगा।

- **कार्रवाई**: कार्मिक सेल द्वारा

1) उत्कृष्ट खेल व्यक्तियों को न्याय से वंचित करना

कर्मचारी पक्ष ने दलील दी कि बीएसएनएल ने खेल कर्मियों के लिए कैरियर प्रोग्रेसन पॉलिसी को अव्यवस्थित तरीके से लागू किया है। इस नई नीति के कार्यान्वयन से पहले, उत्कृष्ट खेल कर्मियों के कुछ मामलों को उनके संबंधित मुख्य महाप्रबंधकों द्वारा पूर्ववर्ती कैरियर प्रोग्रेसन पॉलिसी के आधार पर अनुशंसित किया गया था और कॉर्पोरेट कार्यालय को भेजा गया था।

मुख्य मान्यता प्राप्त संघ ने प्रशासनिक शाखा को बार-बार पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि वे पुरानी नीति के आधार पर पहले से अनुशंसित पुराने मामलों का निपटारा करें। लेकिन इन बार-बार के अनुरोधों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। पश्चिम बंगाल सर्कल की सुश्री नंदिता दत्ता, असम सर्कल की सुश्री सुमित्रा पुजारी और कर्नाटक सर्कल के श्री रवि कुमार के मामले कॉर्पोरेट कार्यालय की प्रशासनिक शाखा में लंबित हैं। इन सभी मामलों को पिछली कैरियर प्रगति नीति के अनुसार उनके संबंधित सीजीएम द्वारा विधिवत अनुशंसित किया गया है। अनुरोध है कि उपर्युक्त 3 खेल कर्मियों के मामले और साथ ही उनके सीजीएम द्वारा पूर्व कैरियर प्रगति नीति के अनुसार विधिवत अनुशंसित अन्य मामलों का तुरंत निपटारा किया जाए।

प्रबंधन पक्ष ने **जीएस, बीएसएनएलयू** को पत्र संख्या BSNLCO-ADMN/74(17)/1/2021-Sports (दिनांक 24.12.2024) के माध्यम से जवाब दिया। विवरण निम्नानुसार है:

क्रमांक	नाम	खेल आयोजन और प्रदर्शन	पदोन्नति हेतु आवश्यक प्रदर्शन
1.	सुश्री नंदिता दत्ता	(i) अखिल भारतीय अंतर-संस्थागत बैडमिंटन टूर्नामेंट-2016 (मुंबई, 28-31 अगस्त 2016) में महिला एकल में तृतीय स्थान।(ii) अखिल भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र खेल प्रोत्साहन बोर्ड बैडमिंटन टूर्नामेंट-2017 (पंचकुला, हरियाणा) में महिला युगल में तृतीय स्थान।	पात्रता शर्त 3: राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट में व्यक्तिगत स्पर्धा में दो कांस्य या टीम स्पर्धा में दो रजत पदक आवश्यक हैं। सुश्री दत्ता ने केवल एक कांस्य पदक प्राप्त किया है।
2.	सुश्री सुमित्रा पुजारी	(i) अखिल भारतीय अंतर-संस्थागत बैडमिंटन टूर्नामेंट-2015 (देहरादून, 28-31 जुलाई 2015) में महिला युगल में तृतीय स्थान। (ii) अखिल भारतीय अंतर-संस्थागत बैडमिंटन टूर्नामेंट-2016 (मुंबई, 28-31 अगस्त 2016) में महिला युगल में तृतीय स्थान। (iii) अखिल भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र खेल प्रोत्साहन बोर्ड बैडमिंटन टूर्नामेंट-2016 (भोपाल, 12-16 जून 2016) में महिला युगल में तृतीय स्थान। (iv) अखिल भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र खेल प्रोत्साहन बोर्ड बैडमिंटन टूर्नामेंट-2017 (पंचकुला, हरियाणा, 09-12 फरवरी 2017) में महिला युगल में तृतीय स्थान।	पात्रता शर्त 3: राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट में टीम स्पर्धा में दो रजत पदक आवश्यक हैं। सुश्री पुजारी ने चार कांस्य पदक प्राप्त किए, लेकिन कोई रजत पदक नहीं। आवेदन के साथ भागीदारी अनुमति प्रमाणपत्र नहीं जुड़े होने के कारण प्रदर्शन मान्य नहीं।
3.	श्री रवि कुमार	फेडरेशन कप वॉलीबॉल चैंपियनशिप (चित्तौड़गढ़, राजस्थान) में पुरुष वर्ग में प्रथम स्थान।	आवेदन के साथ भागीदारी की अनुमति संलग्न नहीं है। बिना अनुमति के प्रदर्शन की गणना नहीं की जाएगी।

प्रबंधन ने सभी मामलों की समीक्षा करने की सहमति दी। स्टाफ साइड ने असम सर्किल के दो अतिरिक्त मामले प्रस्तुत किए

- **कार्रवाई:** प्रशासनिक सेल द्वारा

2. टीएसएम/कैजुअल मजदूरों की समस्याएँ/शिकायतें

स्टाफ साइड ने निम्नलिखित शिकायतों के समाधान की मांग की:

क) 7वें सीपीसी के आधार पर टीएसएम/कैजुअल मजदूरों के वेतन संशोधन न करना*

टीएसएम/कैजुअल मजदूरों का वेतन *6वें सीपीसी* के अनुसार 01-01-2010 से ही लागू है। *7वें सीपीसी* के आधार पर वेतन संशोधन की तत्काल कार्रवाई की मांग की गई।

प्रबंधन पक्ष ने स्पष्ट किया कि बीएसएनएल की वित्तीय कठिनाइयों के कारण, **तीसरी वेतन पुनरीक्षण समिति (3rd PRC)** के तहत कार्यपालक एवं गैर-कार्यपालक कर्मचारियों का वेतन संशोधन भी लंबित है। कैजुअल

मजदूरों/टीएसएम को **6वें सीपीसी** के ग्रेड "डी" के न्यूनतम वेतनमान के अनुसार महंगाई भत्ता (डीए) सहित भुगतान किया जा रहा है। एक समिति ने सिफारिश की है कि कंपनी की वित्तीय स्थिति सुधरने पर ही इनके वेतन संशोधन पर विचार किया जाएगा।

प्रबंधन ने मामले की समीक्षा करने की सहमति दी।

ख) 01-01-2024 से टीएसएम/कैजुअल मजदूरों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (डीए) न देना
टीएसएम/कैजुअल मजदूरों को 01-01-2024 से संशोधित डीए नहीं दिया जा रहा है। शेष राशि का तुरंत भुगतान करने की मांग की गई।

प्रबंधन ने सूचित किया कि डीए संशोधन संबंधी फाइल प्रक्रिया में है।

ग) चूंकि टीएसएम/कैजुअल मजदूरों को सीडीए स्केल के आधार पर वेतन मिल रहा है, इसलिए जीपीएफ अंशदान को जारी रखने की अनुमति दी जाए।

प्रबंधन ने सूचित किया कि वर्तमान में, बीएसएनएल में टीएसएम/कैजुअल श्रमिकों के जीपीएफ के लिए कोई नियम नहीं है। बीएसएनएल बोर्ड ने पत्र 10.01.2011 और 18.05.2015 के तहत मौजूदा टीएसएम/कैजुअल श्रमिकों के लिए ईपीएफ/ईएसआई सुविधा जैसे सामाजिक सुरक्षा उपायों को मंजूरी दे दी है।

-स्थापना प्रकोष्ठ द्वारा कार्रवाई

3) **राष्ट्रपति के आदेश के मामलों का निपटारा न होना।**

कर्मचारी पक्ष ने कहा कि यद्यपि राष्ट्रपति के आदेश का मुद्दा दूरसंचार विभाग को प्रस्तुत करने के लिए लंबित है। सर्किल कार्यालय बीएसएनएल मुख्यालय को आवश्यक जानकारी प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। मामले बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश (पूर्व), महाराष्ट्र आदि से संबंधित हैं।

प्रबंधन ने बताया कि सभी सर्किलों को दूरसंचार विभाग के दिनांक 04.08.2023 के नवीनतम दिशा-निर्देशों के अनुसार राष्ट्रपति के आदेशों (पीओ) के छूटे हुए मामलों को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। इस संबंध में, सभी सर्किलों को दिनांक 21.08.2023 को एक पत्र जारी किया गया था, जिसमें दूरसंचार विभाग के दिनांक 04.08.2023 के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार छूटे हुए मामलों को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। इसके अलावा, सभी संबंधित सर्किलों को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 08.04.2024 को एक अनुस्मारक और पीजीएम (स्थापना) से एक डी.ओ. पत्र जारी किया गया था।

हालांकि, अभी भी कुछ मामले सर्किलों के पास लंबित हैं। तदनुसार, सर्किलों को आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए दिनांक 17.10.2024 को एक पत्र जारी किया गया है। इसके अलावा, निदेशक (मानव संसाधन) की ओर से दिनांक 05.11.2024 को एक डी.ओ. पत्र एमएच, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और यूपी (ई) सर्किलों के सीजीएम को संशोधित डीओटी दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए जारी किया गया था।

प्रबंधन पक्ष ने कहा कि मामले को मौजूदा नियमों के अनुसार देखा जाएगा।

-**स्थापना प्रकोष्ठ द्वारा कार्रवाई**

4. **एलआईसीई के माध्यम से पदोन्नति संबंधी मुद्दे**

स्टाफ साइड ने बताया कि **VRS (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना)** के बाद **JTO/JE/TT** कैडरों में रिक्तियाँ कम हो गई हैं, जिसके कारण कुछ SSAs (अब OAs) में **IT कैडर** में "शून्य" रिक्तियाँ हैं। इससे **सहायक टेलीकॉम टेक्नीशियन (ATT)** को **टेलीकॉम टेक्नीशियन (TT)** कैडर में पदोन्नति के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। स्टाफ साइड ने निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए:

क) एलआईसीई (सीमित आंतरिक प्रतियोगी परीक्षा) आयोजन:

BAS (बेसिक अकाउंटिंग यूनिट) की कुल रिक्तियों के आधार पर TT कैडर हेतु एलआईसीई आयोजित की जाए। योग्य उम्मीदवारों को मेरिट और वरीयता के आधार पर प्रशिक्षण भेजा जाए। प्रशिक्षण पश्चात, उनकी वरीयता और सूची में स्थान के अनुसार तैनाती की जाए।

ख) वरिष्ठ TOA कैडर में रिक्तियाँ भरना:

इंटरमीडिएट/स्नातक डिग्री धारक उम्मीदवारों को एक परीक्षा के माध्यम से **वरिष्ठ TOA** कैडर में नियुक्त किया जाए।

ग) टेलीकॉम टेक्नीशियनों को वरिष्ठ TOA कैडर में पदोन्नति:

- TT कैडर के कर्मचारियों को भी वरिष्ठ TOA कैडर में पदोन्नति के योग्य माना जाए।

घ) अधिशेष सर्किलों में पदोन्नति की समस्या:

- अधिकांश सर्किलों को **JTO, JE और TT** कैडरों के लिए "अधिशेष" घोषित किया गया है, जिससे इन सर्किलों के कर्मचारियों को एलआईसीई के माध्यम से पदोन्नति का अवसर नहीं मिल पा रहा है। ऐसे कर्मचारियों के करियर को सुरक्षित करने हेतु एक व्यवस्था विकसित करने की मांग की गई।

प्रबंधन पक्ष ने स्पष्ट किया कि पदोन्नतियाँ **भर्ती नियमों** (Recruitment Rules), पाठ्यक्रम और रिक्तियों की स्थिति के अनुसार की जाती हैं। **भर्ती शाखा** प्रत्येक कैडर हेतु निर्धारित पात्रता मानदंडों, योग्यता अंकों और श्रेणीवार रिक्तियों के आधार पर एलआईसीई आयोजित करती है।

5) पेंशन नियम 1972 के अनुच्छेद 37 ए के तहत बीएसएनएल में स्थानांतरित डीओटी भर्तियों का कवरेज

स्टाफ पक्ष ने कहा कि काफी संख्या में अधिकारियों को डीओटी द्वारा भारत सरकार के आदेशों के अनुसार भर्ती किया गया था। इन्हें डीओटी द्वारा प्रशिक्षण दिया गया और इस प्रकार ये केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले सभी लाभों के हकदार हैं। हालाँकि, ऐसे अधिकारियों के प्रशिक्षण पूरा होने के बाद, इन्हें बिना विकल्प दिए बीएसएनएल में स्थानांतरित कर दिया गया। तथ्यतः, उस अवधि में लागू भारत सरकार के आदेशों के अनुसार इन्हें एनपीएस (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) का हकदार होना चाहिए था। डीओटी द्वारा इसे गलत तरीके

से अस्वीकार कर दिया गया। डीओटी के गलत आदेशों के कारण, ये अब राष्ट्रपति के आदेशों से वंचित हो गए हैं।

अतः, यह अनुरोध किया गया कि इस श्रेणी के कर्मचारियों से बीएसएनएल में अवशोषण के लिए विकल्प लेने हेतु डीओटी के साथ मुद्दा उठाया जाए और नियम 37ए में इसे शामिल किया जाए। डीओटी द्वारा भर्ती किए गए कर्मचारियों की स्थिति को मनमाने ढंग से नहीं बदला जा सकता।

प्रबंधन ने कहा कि पहले भी बीएसएनएल के कई संघों और संगठनों ने डीओटी/डीटीएस द्वारा अधिसूचित रिक्तियों के विरुद्ध भर्ती किए गए बीएसएनएल कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने के लिए यह मुद्दा उठाया था। इस संबंध में, डीओटी ने 14.07.2023 के पत्र द्वारा स्पष्टीकरण दिया है:

i. डीओटी की नीति/स्थिति सभी ऐसे कर्मचारियों के संदर्भ में पूरी तरह स्पष्ट है और इस कार्यालय के पत्र संख्या 27-01/2001-SNG (Vol.III)/चेन्नई टी.सी (Pt.) दिनांक 27.02.2020 एवं संशोधन दिनांक 23.02.2021 के अनुसार, "कोई भी कर्मचारी जिसे बीएसएनएल द्वारा 01.10.2000 या उसके बाद औपचारिक रूप से नियुक्त किया गया और बीएसएनएल में शामिल हुआ, वह बीएसएनएल का नियुक्त कर्मचारी है।" अतः, बीएसएनएल कर्मचारी के लिए राष्ट्रपति आदेश या सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 की प्रयोज्यता नहीं उठती।

ii. सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 का नियम 37 [सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 का नियम 37ए] कहता है कि पेंशन केवल संयुक्त सेवा कर्मचारियों को दी जाती है, जो डीटीएस/डीओटी के निगमीकरण से पहले डीओटी के रोल पर थे और समूह में बीएसएनएल/एमटीएनएल में स्थानांतरित किए गए तथा उनके द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार अवशोषित किए गए। चूंकि, प्रस्तुतिकरणों में संदर्भित कर्मचारियों ने डीओटी में सेवा नहीं दी है, इसलिए सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 के अंतर्गत उनका अवशोषण प्रक्रिया में हकदार नहीं हैं।

डीओटी ने इस मामले में निर्णय ले लिया है और बीएसएनएल की ओर से इस संबंध में कोई और कार्रवाई आवश्यक नहीं है।
इस मुद्दे पर चर्चा के बाद, प्रबंधन ने डीओटी के साथ इस मामले को उठाने पर सहमति जताई।

6. स्थानांतरण नीति के तहत कर्मचारियों को हो रही कठिनाइयाँ

स्टाफ साइड ने बताया कि संशोधित स्थानांतरण नीति के कारण कर्मचारियों को महत्वपूर्ण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इन्हें दूर करने हेतु निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए गए:

i) **नियम-8 के तहत पति-पत्नी को एक स्टेशन पर स्थानांतरण**:
- जो कर्मचारी सरकार/सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत अपने जीवनसाथी के साथ रहने हेतु *नियम-8* के तहत स्थानांतरण चाहते हैं, उनके अनुरोधों को *"अधिशेष सर्किल"* में भी स्वीकार किया जाए।
- इस संदर्भ में सेवा अवधि संबंधी शर्तों में छूट दी जाए। साथ ही, यह मान्यता दी जाए कि पति-पत्नी को एक साथ रहने का अधिकार है।

ii) **आपसी स्थानांतरण (Mutual Exchange) की अनुमति**:

- कर्मचारियों के बीच *आपसी स्थानांतरण* को स्वीकृति दी जाए। स्थानांतरण के बाद *2 वर्ष की अनिवार्य सेवा अवधि* की शर्त को हटाया जाए या इसमें लचीलापन दिया जाए।

iii) अधिशेष के लिए मौजूदा आदेशों के अनुसार नियम 9 के तहत निर्धारित अवधि के लिए स्थानान्तरण को स्वीकार किया जाए। स्थगन अवधि को पहले की तरह 5 वर्ष के रूप में बहाल किया जाए।

iv) घाटे वाले क्षेत्रों में स्थानांतरण चाहने वाले अधिकारियों को शीघ्रता से स्वीकृति दी जाए।

उपरोक्त 7 और 9 के समान।

7. **वर्दी एवं अन्य वस्तुओं के स्थान पर नकद भुगतान**

स्टाफ साइड ने बताया कि कुछ सर्किल वर्दी और अन्य वस्तुओं (जूते, चप्पल आदि) के स्थान पर नकद भुगतान कर रहे हैं, लेकिन कॉर्पोरेट कार्यालय इसे चुनिंदा तरीके से अस्वीकार कर देता है। कॉर्पोरेट कार्यालय में कर्मचारियों को वर्दी के बदले नकद भुगतान किया जाता है, लेकिन फील्ड इकाइयों में यह सुविधा नहीं है। स्टाफ साइड ने पूरे बीएसएनएल में एकरूपता बनाए रखने हेतु समान आदेश जारी करने की मांग की।

प्रबंधन पक्ष ने स्पष्ट किया कि कोई भी सर्किल प्रशासनिक शाखा (BSNLCO) से ERP प्रणाली में वर्दी/अन्य वस्तुओं के भुगतान हेतु नीति समावेशन का अनुरोध नहीं किया है। BSNLCO का ERP सेल प्रशासनिक सेल को एक समान नीति जारी करने को कह चुका है। हालाँकि, वर्तमान में केवल वर्दी का भुगतान वेतन के साथ किया जाता है, जबकि अन्य वस्तुओं (जूते, चप्पल आदि) का भुगतान BSNLCO द्वारा नहीं किया जाता, क्योंकि कॉर्पोरेट कार्यालय के पास फील्ड स्टाफ नहीं है। फील्ड इकाइयों हेतु इस संबंध में कोई नीति उपलब्ध नहीं है।

प्रबंधन ने बताया कि संबंधित सेल द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

- **कार्रवाई**: प्रशासनिक सेल द्वारा

बैठक का समापन ***PGM (स्थापना)*** द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हुआ।

इस आदेश को ***सक्षम प्राधिकारी*** द्वारा अनुमोदित किया गया है।

(Vipul Shrivastava)
AGM (SR)

प्रेषित:

राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्यगण (नामानुसार) एवं बैठक में उपस्थित प्रतिभागी

सूचनार्थ प्रतिलिपि:

1. सीएमडी, बीएसएनएल के पीपीएस
2. बीएसएनएल बोर्ड के सभी निदेशकों के पीएस
3. ओएल सेक्शन - हिंदी अनुवाद हेतु

प्रतिभागियों की सूची

आधिकारिक पक्ष से प्रतिभागी

क्र.सं	नाम	पदनाम
1.	श्री कल्याण सागर निप्पाणी, निदेशक (एचआर)	अध्यक्ष
2.	श्री राजीव सोनी, सीजीएम(ईडब्ल्यू) (पीजीएम(प्रशासन) की ओर से)	सदस्य
3.	श्री शंभू प्रसाद सिंह, पीजीएम(एस्टेट)/पीजीएम(भर्ती एवं प्रशिक्षण)	सदस्य
4.	श्रीमती अनीता जोहरी, पीजीएम(एसआर)/पीजीएम(कार्मिक	सदस्य
5.	श्री मुकेश कुमार, डीजीएम(ईएफ) (पीजीएम(ईएफ) की ओर से	सदस्य

स्टाफ पक्ष से प्रतिभागी

क्र.सं	नाम	पदनाम
1.	श्री पी. अभिमन्यु	सचिव, स्टाफ पक्ष
2.	श्री चंदेश्वर सिंह	नेता, स्टाफ पक्ष
3.	श्रीमती अनिमेष मित्रा	सदस्य
4.	श्री जॉन वर्गीज	सदस्य
5.	श्री एस. चेल्लप्पा	सदस्य
6.	श्री इरफान पाशा	सदस्य
7.	श्री अभिषेक राणा	सदस्य
8.	श्रीमती वी.पी. प्रजापति	सदस्य
9.	श्री अभिनीत कुमार	सदस्य
10.	श्री के. नटराजन	सदस्य
11.	श्री के.आर. परमार	सदस्य
12.	श्री संजय दुबे	सदस्य
13.	श्री रंजन दानी	सदस्य